भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1256

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

1256. श्री इमरान मसूदः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत भुगतान किए गए कुल प्रीमियम, दावा की गई कुल बीमा क्षतिपूर्ति राशि और स्वीकृत की गई कुल बीमा राशि तथा दावेदारों के बीच सफलतापूर्वक वितरित की गई कुल बीमा राशि का वर्षवार, राज्यवार और जिलावार विशेषकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोई संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित एजेंसियों द्वारा एक्चुरियल/बोली प्रीमियम दरें वसूली जाती हैं। परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पूरे देश में सीजन के लिए किसानों से बेहद कम प्रीमियम दर वसूली जाती है, जो खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2%, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5% है। एक्चुरियल प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से) के लिए, जहां इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में मानक पीएमएफबीवाई के अलावा 3 वैकल्पिक जोखिम हस्तांतरण मॉडल, जैसे कप और कैप मॉडल (80:110), कप और कैप मॉडल (60:130) और लाभ और नुकसान साझाकरण मॉडल भी शामिल हैं। राज्यों को इनमें से कोई भी मॉडल चुनने की छूट दी गई है।

पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के प्रावधानों के अनुसार, किसानों से प्रीमियम के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की प्रीमियम सब्सिडी का हिस्सा संबंधित बीमा कंपनी को जोखिम की स्वीकृति और योजना के प्रावधानों के अनुसार दावों के भुगतान के लिए भुगतान किया जाता है।

बीमा कंपनी अच्छे मौसम/वर्षों में प्रीमियम बचाते हैं और अच्छे वर्षों में की गई बचत से खराब वर्षों में उच्च दावों का भुगतान करते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों द्वारा भुगतान किए गए कुल प्रीमियम और किसानों को भुगतान किए गए कुल दावों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पीएमएफबीवाई के अंतर्गत किसानों द्वारा भुगतान किए गए कुल प्रीमियम और किसानों को भुगतान किए गए कुल दावों का वर्षवार और जिलावार (सहारनपुर जिले सहित) विवरण क्रमशः **अनुबंध-II और III** में दिया गया है।

(ख): फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हितधारकों/अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशा-निर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुँचें।

लो.स.अता.प्र.सं.1256

अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान किसानों द्वारा कुल भुगतान किए गए प्रीमियम और किसानों को भुगतान किए गए दावों का संचयी राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**प्रीमियम में किसानों का हिस्सा**	**भुगतान किए गए दावें**
	(लाख रुपये में)	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.79	-
आंध्र प्रदेश	7,833.28	1,82,018.47
असम	1,080.17	62,238.37
छतीसगढ	98,673.50	4,67,640.84
गोवा	4.19	0.77
गुजरात	46,794.22	49,047.58
हरियाणा	1,42,228.61	6,65,909.42
हिमाचल प्रदेश	13,242.64	27,585.87
जम्मू एवं कश्मीर	3,018.24	9,395.91
झारखंड	279.18	2,775.32
कर्नाटक	1,41,117.33	7,78,238.53
केरल	4,234.38	48,614.27
मध्य प्रदेश	3,67,955.28	18,49,056.87
महाराष्ट्र	3,39,147.70	26,45,615.33
मणिपुर	164.20	622.36
मेघालय	16.63	888.71
ओडिशा	67,843.08	3,55,307.01
पुदुचेरी	0.53	3,200.19
राजस्थान	4,32,881.11	20,83,011.67
सिक्किम	29.84	55.54
तमिलनाडु	83,087.04	6,33,424.02
तेलंगाना	23,972.90	50,796.44
त्रिपुरा	242.56	632.33
उत्तर प्रदेश	1,50,753.80	3,92,199.34
उत्तराखंड	21,765.80	61,468.22
कुल (अखिल भारत)	**19,46,369.03**	**1,03,69,743.38**

लो.स.अता.प्र.सं.1256

अनुबंध-II

उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान किसानों द्वारा भुगतान किए गए कुल प्रीमियम और किसानों को भुगतान किए गए कुल दावों का वर्षवार विवरण

वर्ष	**प्रीमियम में किसानों का हिस्सा**	**भुगतान किए गए दावे**
	(लाख रुपये में)	
2019-20	32,187.12	1,08,465.85
2020-21	33,044.66	50,706.00
2021-22	28,470.22	98,800.25
2022-23	28,618.55	94,565.20
2023-24	28,433.26	39,662.04
कुल	**1,50,753.80**	**3,92,199.34**

अनुबंध-III

पीएमएफबीवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान, किसानों द्वारा भुगतान किए गए कुल प्रीमियम और किसानों को भुगतान किए गए कुल दावों का विवरण

उत्तर प्रदेश के जिले	**प्रीमियम में किसानों का हिस्सा**	**भुगतान किए गए दावे**
	(लाख रुपये में)	
आगरा	2,116.88	841.92
अलीगढ़	1,561.02	2,151.27
इलाहाबाद	2,115.19	1,432.81
अम्बेडकर नगर	1,395.23	1,396.36
अमेठी	2,086.08	2,078.21
अमरोहा	192.46	93.37
औरैया	1,160.57	1,241.57
अयोध्या	432.87	628.77
आजमगढ़	775.49	703.00
बागपत	33.74	6.94
बहराइच	3,934.05	8,205.68
बलिया	1,608.38	1,965.87
बलरामपुर	543.94	1,666.95
बांदा	2,893.98	3,764.27
बाराबंकी	6,002.67	12,685.20
बरेली	879.01	1,147.64
बस्ती	2,799.78	3,193.29
भदोही	338.06	674.50
बिजनौर	123.17	91.08
बदायूं	1,314.72	690.49
बुलंदशहर	2,080.11	1,630.79
चंदौली	864.77	460.43
चित्रकूट	1,286.32	1,829.73
देवरिया	1,943.47	1,731.53
एटा	466.37	495.36
इटावा	1,298.03	549.02
फैजाबाद	955.01	1,045.57
फर्रुखाबाद	1,188.86	1,695.44
फतेहपुर	3,686.62	1,776.57
फिरोजाबाद	1,405.36	1,137.92
गौतम बुद्ध नगर	266.08	339.50

गाज़ियाबाद	59.46	51.78
गाजीपुर	1,429.25	1,592.55
गोंडा	637.99	959.81
गोरखपुर	2,876.14	7,751.29
हमीरपुर	3,201.75	13,286.84
हापुड़	123.54	146.81
हरदोई	2,644.87	2,710.55
हाथरस	984.08	231.95
जालौन	4,781.99	10,370.35
जौनपुर	624.69	113.77
झांसी	12,170.12	60,667.80
कन्नौज	2,065.49	1,094.85
कानपुर देहात	3,296.20	2,607.61
कानपुर नगर	2,924.52	2,056.48
कासगंज	385.78	577.11
कौशाम्बी	913.71	400.51
खीरी	315.09	408.21
कुशीनगर	2,422.13	2,296.86
ललितपुर	13,040.99	70,567.55
लखनऊ	956.61	1,122.10
महाराजगंज	2,609.80	2,993.55
महोबा	3,665.10	39,855.95
मैनपुरी	701.50	705.49
मथुरा	9,507.97	73,223.81
मऊ	437.04	803.01
मेरठ	43.29	22.90
मिर्जापुर	3,396.95	7,793.00
मुरादाबाद	432.30	229.97
मुजफ्फरनगर	45.92	53.53
पीलीभीत	1,352.19	1,018.44
प्रतापगढ़	1,936.70	1,320.43
प्रयागराज	1,432.85	1,210.76
रायबरेली	4,311.07	1,098.32
रामपुर	1,448.10	830.17
सहारनपुर	**128.63**	**102.77**
संभल	476.19	249.11
संत कबीर नगर	1,580.94	918.78
शाहजहाँपुर	630.72	239.25
शामली	48.71	20.65
श्रावस्ती	732.35	1,915.96

श्रावस्ती	797.08	2,207.66
सिद्धार्थनगर	2,834.32	6,016.11
सीतापुर	2,040.97	3,022.46
सोनभद्र	2,344.44	4,959.73
सुल्तानपुर	1,419.40	534.04
उन्नाव	2,281.45	3,411.39
वाराणसी	515.17	1,076.22
यूपी कुल	**1,50,753.80**	**3,92,199.34**

******